फर्द अहकाम

बिजेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत ढीण्डा वगै0

यालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

न सं0 4 /2024

सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.01.2025	अधिवक्ता श्री रामसिंह, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0 एडी0 होकर पत्रावली दिनांक 24.01.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	24.1.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। Adv. बबलु कुमावत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से U.T. दी गयी। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से वकालतनामा पेश करे। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रा. मि. रहे। अप्रार्थी सं. 3 की जारीशुदा तामील अप्राप्त। पत्रावली बरंतजार रिपोर्ट दिनांक 31.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	UT अप्रार्थी स. 2 (हस्ताक्षर) (बबलु कुमावत एड)
	31.1.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी श्री अजीत चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र O1 R10 व 151 C.P.C. पेश। श्रा. मि. रहे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का आगामी बेचान ना हो इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने स्वीकार किया जाना न्यायोचित	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं.   / 202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		प्रतीत होता है। अत: अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 17/2 रकबा 1.8082 है० वाके ग्राम हिंगोनिया तह० जोबनेर के आगामी बेचान पर प्रतिबंध रहेगा तथा विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रहें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र O.R.10 व 151 जा० दी० दिनांक 5/2/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	5/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया ~~राजकार्य में व्यस्त~~ है। अत: पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/2/25 को पेश हो।	
	12/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया ~~राजकार्य में व्यस्त~~ है। अत: पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/2/25 को पेश हो।	
	19/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया राजकार्य में व्यस्त है। अत: पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।	
	5/3/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया ~~राजकार्य में व्यस्त~~ है। अत: पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश हो।	
	24/3/25	दिनांक 21/3/25 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आज दिनांक 24/3/25 को पेश हुई। पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अत: पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

बनाम

...य का नाम :—**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

/202.......

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.3.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 2/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
2.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। अधि० प्रार्थी से 2 की ओर से प्रार्थना पत्र पत्रावली को कन्सॉलिडेट किये जाने बाबत पेश। प्रा.मि. रहे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज/रुलिंग्स पेश करने हेतु समय चाहा गया। पत्रावली दिनांक 9/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
9.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पूर्वादेशानुसार पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
16.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र कन्सॉलिडेट किये जाने पुनः सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
23.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

20/5/25

पत्रावली पेश हुई। आज
अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित
रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि. 30/5/25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

बिजेन्द्र सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 ०५ / 2025

क्रं0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 2 कि से प्रार्थना पत्र अ0धारा 151 जा0दी प्रकरण विजेन्द्रसिंह बनाम ग्राम पंचायत ढीण्ढा मे पेशकर जाहिर किया कि प्रस्तुत अपील मे वर्णित भूमि के संबंध मे पूर्व मे न्यायालय मे प्रकरण सं0 28/2023 अनुवानी विजेन्द्रसिंह बनाम किशोरसिंह विचाराधीन हैं अपील मे वर्णित तथ्यो एंव वाद सं0 28/2023 मे वर्णित तथ्य समान है ओर दोनो प्रकरण कन्सोलिडेट होकर निर्णय एकजाई पारित किया जाना न्यायोचित है ताकि दोनो प्रकरणो जो समान प्रकृति के है मे भिन्न भिन्न निर्णय पारित न हो सके। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी विजेन्द्रसिंह के अधिवक्ता को नकल पेशकर जबाब तलब किया गया, जिस पर कोई जबाब पेशकर नही सीधी ही बहस करना जाहिर किया, जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी जिसमे अप्रार्थी विष्णु शर्मा के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तत किया गया कि प्रार्थी विजेन्द्रसिंह द्वारा जो नामा0 की अपील पेश की गयी है उसमे विजेन्द्रसिंह द्वारा अपना टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 18/12/2024 को नोट प्रेस मे खारिज कराने के पश्चात ग्राम पंचायत ढीण्ढा द्वारा प्रार्थी विष्णु शर्मा के पक्ष मे नामा0 स्वीकृत किये जाने के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया गया विष्णु शर्मा के अधिवक्ता ने आगे जाहिर किया कि जरिये जो आराजी विष्णु शर्मा द्वारा जरिये विक्रय पत्र कय की गयी जिसमे प्रार्थी ने जो पूर्व मे घोषणा खातेदारी का वाद सं0 28/2023 विचाराधीन हे जिसमे भी पक्षकार कायम है नामा0 एक समरी प्रोसिडींगस है जिसमे अधिकार कायम नही किये जा सकते केवल गुणा अवगुण के आधार पर अपील निर्णत की जाती है। इसके संबंध मे अधिवक्ता ने माननीय सुप्रिम कोर्ट का निर्णय Mutation of Property Does Not Confer Legal Title: Insights from Sawarni vs Inder Kaur पेश किया जो प्रस्तुत प्रकरण मे चस्पा होता है ऐसी स्थिति मे नामा0 की अपील मूल प्रकरण सं0 28/2023 मे कनसेालिडेट की जाकर अपील की अलहदा सुनवाई स्थगीत किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी विजेन्द्रसिंह के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने फरजी नामा0 खुलवाया है इसलिये नामा0 निरस्त फरमाया जावे और यह कनसोलिडेट प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को लम्बित करने की गरज से पेश किया गया है। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात यह पाया गया कि प्रस्तुत नामा0 अपील मे	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

		वर्णित भूमि व पक्षकारान के मध्य पूर्व मे घोषणा खातेदारी का प्रकरण विजेन्द्रसिंह बनाम किशोरसिंह प्रकरण सं0 28/2023 का विचाराधीन है, दोनो प्रकरण मे पक्षकारान व विवादित भूमि समान होने के कारण पूर्व मे प्रस्तुत वाद सं0 28/2023 मे सुनवाई की जाकर पक्षकारान के अधिकार तेय किया जाना आवश्यक है एंव तब तक प्रस्तुत नामा0 की अपील विजेन्द्रसिंह बनाम ग्राम पंचायत की अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जाकर पूर्व प्रकरण सं0 28/2023 मे कनसोलिडेट की जाकर दोनो प्रकरणो की सुनवाई एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कनसोलिडेट स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि प्रस्तुत नामा0 अपील विजेन्द्रसिंह बनाम ग्राम पंचायत ढीण्ढा को प्रकरण सं0 28/2023 अनुवानी विन्द्रसिंह बनाम किशोरसिंह मे कनसोलिडेट की जाकर दोनो प्रकरण की एकजाई सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली मूल वाद प्रकरण सं0 28/2023 के साथ हमफिता हो। प्रकरण की कार्यवाही Stay of suit की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

अपील संख्या......04....../2025

बिजेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह उम्र–24 वर्ष जाति राजपुत निवासी गांवड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा पंचायत समिति जोबनेर जिला जयपुर।
2. विष्णु शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पूर्व सरपंच की ढ़ाणी, देवलां, बोराज, तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

..............मुख्य रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ढिण्ढ़ा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 नामान्तरण/प्रविष्ट संख्या 1221 दिनांक 08.01.2025 पंचायत समिति जोबनेर राज0।

बिजेन्द्र सिंह

श्रीमानजी,

अपील अपीलान्ट संक्षिप्त वाक्यात निम्न आधारो पर पेश है।

1. संक्षिप्त वाक्यात :— संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि खाता सं0 नया 37 खाता सं0 पुराना 35 की आराजी खं0न0 17/2 रकबा 1.8082 हैक्टेयर वाके ग्राम ढिण्ढा भू0अधि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के दादा घीसू सिंह पुत्र लखसिंह के नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1967 को खरीद की थी जिसका नामांतरण सं0 228 दिनांक 27.03.1985 को खोला जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया है। प्रार्थी के दादा घीसूसिंह उक्त आराजीयात पर खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे थे। दिनांक 01.10.2008 को प्रार्थी के दादा घीसू सिंह का स्वर्गवास हो गया था उसके पश्चात उसके वारिशान प्रार्थी के पिता किशोरसिंह व शोभा कंवर अशोका कंवर उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

2. यह कि प्रार्थी के पिता किशोरसिंह विदेश रहते हैं जिसके कारण व कानून से अनभिज्ञ होने के कारण घीसूसिंह जी के स्वर्गवास पश्चात फौती नामन्तरण नही खुला सके। इसका नाजायज फायदा उठाते हुये घीसूसिंह जिनका दिनांक 01.10.2008 को स्वर्गवास हो गया था उनकी जगह अन्य व्यक्ति को खड़ा कर घीसू सिंह की छोड़ी हुई कब्जे काश्त व खातेदारी की खसरा नं0 17/2 का दिनांक 08.02.2023 को आप्रार्थी सं02 ने अपने नाम बेचान पत्र तैयार करवाकर उपपंजियक कार्यालय जोबनेर में दिनांक 08.02.2023 को निष्पादित करा लिया है। जो फर्जी दस्तावेज है। जिसकी जानकारी होने पर जरिये इस्तगासा एफ आई आर सं086 दिनांक 20.04.2023 को पुलिस थाना फुलेरा में दर्ज करवाई थी। उसके बाद भी विपक्षीगण बाज नही आये और अप्रार्थी सं02 ने पटवारी पटवार हल्का ढिण्ढा व अप्रार्थी सं01 ग्राम पंचायत ढिण्ढा से मिलीभगत कर पूर्व में दिनांक 08.02.2023 को फर्जी बेचाननामे की जानकारी होते हुये दिनांक 07.01.2025 रात्रि को पटवारी पटवार हल्का ढिण्ढा द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिनांक 08.01.2025 को सुबह 10 बजे सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा द्वारा नामान्तरण तस्तदीक कर नामान्तरण खोल

विजेन्द्र सिंह

दिया गया तथा मिलीभगत कर एक अन्य फर्जी दस्तावेज बेचाननामा उक्त नामान्तरण के आधार पर सुबह 11 बजे उपपंजियक कार्यालय जोबनेर मेअन्य व्यक्ति अजीत कुमार के नाम बेचान पत्र कर दिया गया। इस प्रकार संरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा व पटवारी पटवार हल्का ढिण्ढा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर घीसूसिंह का फौती नामान्तरण उसके वारीसानो के नाम ना खोलकर उनको उनकी आराजीयात से महरूम रखने की नियत से फौती नामन्तरण न खोलकर फर्जी बेचाननामा दिनांक 08.02.2023 का अप्रार्थी सं02 के नाम नामान्तरण सं0 1221 दिनांक 08.01.2025 तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारो पर पेश है।

आधार

1. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण 1221 दिनांक 08.01.2025 को विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल की है जो विधि, विधान, न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होनें की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अपीलाधीन नामान्तरण मात्र अपीलान्ट को उसकी आराजी से महरूम करने की गरज से एवं रेस्पोडेन्ट सं02 को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त अपीलाधीन नामान्तरण सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि अपीलाधीन अराजीयात पर घीसूसिंह की फौतगी के पश्चात उनके वारीशान अपीलान्ट व उसके पिता किशोरसिंह, शोभाकंवर, अशोकाकंवर का कब्जा काश्त रहा है इनके अलावा किसी अन्य का ना तो कब्जा रहा है तथा ना ही कोई कब्जा काश्त रहा है कब्जे काश्त के विपरीत एवं बिना मौका निरीक्षण किये ही उक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भ से ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

विजेन्द्र सिंह

4. यह कि नामान्तरण केवल मात्र एक फिसिकल प्रोसेडिंग है। जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता है नामान्तरण एक वित्तीय कार्यवाही जिसके आधार पर केवल मात्र भूमि का लगान निर्धारण कर अदा करने की कार्यवाही की जाती है तथा राजस्व रिर्कोड में दर्ज इन्द्राजात अन्तिम सत्य नही होते है उनको रिबट किये जाने का कानूनी प्रावधान है उक्त तथ्यो के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है। तथा अपीलाधीन आराजी सम्पूर्ण का नामान्तरण अपीलान्ट व घीसूसिंह के वारिशानो के हक में तस्दीक किया जाना न्यायहित में है।

5. यह कि अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व बिना मौके पर गये एवं बिना मौका कब्जा देखे एवं किसी प्रकार की रिपोर्ट आदि प्राप्त किये ही उक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है इसलिये भी अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है।

6. यह कि अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी अपीलान्ट को जरिये ऑनलाइन ई–मित्र से नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 15.01.2025 को प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है। जो अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

7. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से स्पिकिंग आदेश की श्रेणी में नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत ढिण्ढा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है जो माननीय न्यायालय को श्रवण एवं निर्णित करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

बिजेन्द्र सिंह

9. यह कि अन्य आधार वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर **अधिनस्थ ग्रामपंचायत ढिण्ढा की पंचायत समिति जोबनेर का निर्णय आदेश जेर नामांतकरण 1221 दिनांक 08.01.2025** निरस्त फरमाया जाकर घीसूसिंह के वारिशानो के हक में नामांतकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करे।

दिनांकः—15.01.2025

अपीलान्ट बिजेन्द्रसिंह

बिजेन्द्रसिंह पुत्र किशोर सिंह जाति
राजपुत निवासी गांवड़ी तहसील डीडवाना
जिला नागौर